# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 39/2024 G.C.M.S. No. 2024/194 दर्ज दिनांक : 05.06.2024**

**अपीलार्थिगण:**

रामु पुत्र हीरा, जाति विश्नोई, निवासी रणोदर, तहसील चितलवाना, जिला सांचौर।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. भारमल पुत्र रामचन्द्र
2. पूनमाराम पुत्र रामचन्द्र
3. प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. धनीदेवी पत्नी रामचन्द्र
5. बबूलाल पुत्र हेमा
6. कोहलाराम पुत्र सुण्डा
7. भाखराराम पुत्र सुण्डा जातियान विश्नोई, निवासीगण रणोदर, तहसील चितलवाना जिला सांचौर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांचौर।
9. बैक ऑफ बड़ौदा, शाखा सांचौर।
10. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांचौर।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चितलवाना।

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 बअनवान भारमल वगैरह बनाम रामू वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024**

**पैरोकार:–**

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्री हनुमान दास सेवग, श्री कार्तिक दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

## निर्णय

**दिनांक: 29.05.2026**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 बअनवान भारमल वगैरह बनाम रामू वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकश्त की भूमि पटवार हल्का रणोदर के ग्राम नाईयों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1886 रकबा 2.35 हैक्टर आया हुआ है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 का नाम दर्ज है परन्तु कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण का है तथा पूर्व खसरा हमारे बंट में आया हुआ है तथा वर्षों से हम प्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की रहवासी ढाणी आयी हुई जिसमे सहपरिवार हम निवासरत है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासी ढाणी में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत मे आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1835 रकबा 2.49 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से 6 मीटर चौडा व 20 मीटर लम्बा रास्ता, अप्रार्थी संख्या 02 के खसरा नम्बर 1840 रकबा 1.27 हैक्टर किस्म बारानी मे से 6 मीटर चौडा व 77 मीटर लम्बा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खसरा नम्बर 1841 रकबा 0.61 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम में से 6 मीटर चौडा व 66 मीटर लम्बा, खसरा नम्बर 1887 रकबा 1.06 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से 6 मीटर चौडा व 65 मीटर लम्बा रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। खसरा नम्बर 1841 व 1887 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के संयुक्त खातेदारी का है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 व 04 की संयुक्त खातेदारी रेकर्ड मे दर्ज है जो हम प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण अपने हिस्से के खातेदारी खेत मे आने–जाने के लिए हर रोज अवरूद्ध पैदा करते हुए मना करते है जिससे प्रार्थीगण को कठिनाई का सामना करना पडता है। जो उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त खेत मे काश्त करने मे आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण को कुल 6 मीटर चौडा व 228 मीटर लम्बा रास्ता की आवश्यकता है जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से दर्शाया है। जिसका प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रिपोर्ट तलब की गई, अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने इकबाली जवाब पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका रिपोर्ट की आपत्ति की गई एवं आदेश जैर अपील पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा जो प्रार्थना पत्र अपने खेत खसरा नम्बर 1886 रकबा 2.35 हैक्टर में जाने हेतु रास्ते के लिए 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया जबकि खसरा नम्बर 1886 का अवलोकन किया जावे तो खसरा नम्बर 1886 मौजा नाईयो की ढाणी पटवार हल्का रणोदर एक संयुक्त खातेदारी का खेत है जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 का संयुक्त खातेदारी का है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने स्वयं का कब्जा काश्त का मानकर प्रार्थना पत्र पेश किया है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त खसरा संयुक्त है कही बंटा हुआ नहीं है अन्य खातेदारो की सहमति के बगैर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि मौजा नाईयों की ढाणी पटवार हल्का रणोदर के खसरा नम्बर 1842, 1843 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के शामलाती है तथा खसरा नम्बर 1840 के पश्चिमी माठ की तरफ नहर का हिस्सा नजदीक है तथा पश्चिमी माठ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के जरिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अपने संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1842 1843 में होते हुऐ खसरा नम्बर 1886 मे आसानी से आ जा सकते है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने जो रास्ता A से B नक्शा परिशिष्ट–अ के जरिये मांगा है उससे अपीलान्ट का खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है अगर खसरा नम्बर 1840 के पश्चिमी माठ के तरफ होते हुऐ खसरा नम्बर 1842 व 1843 की पश्चिमी माठ में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को खसरा नम्बर 1886 मे रास्ता आसानी से दिया जा सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच सहीं तरीके से नहीं करवायी तथा अधिकारी व कर्मचारियो द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 से मिलावट कर गलत रूप से मौका रिपोर्ट बनायी। दिनांक 27.03.2024 को अपीलान्ट द्वारा मौके की दुबारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 04.04.2024 को पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गई उस मौका रिपोर्ट मे 04.04.2024 को करवायी। वह तहसीलदार चितलवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी को 05.04.2024 को भेजी उस रिपोर्ट के पद संख्या 2 में तहसीलदार चितलवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी को क्रंमाक/राजस्व/2024/382 दिनांक 05.04.2024 को बताया गया कि 1835 के दूसरी और अप्रार्थी (रामू) मौका देखा गया उसमे 1840 नहर से 3 मीटर दूर है जो 10 फीट की सीधी ढलान है, जो रास्ते के उपयोग हेतु अनउपयोग होना बताया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 1840 मे पश्चिमी माठ पर रास्ता उपलब्ध है ढलान होने से रास्ता कैसे अनुपयुक्त होता है यह तथ्य गलत रूप से अंकित गया है। क्योंकि ढलान से रास्ता अनुपयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार इसी रिपोर्ट दिनांक 05.04.2024 को तहसीलदार चितलवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी को क्रंमाक/राजस्व/2024/382 दिनांक 05.04.2024 के पत्र के पद संख्या 3 मे खसरा नम्बर 1871, 1872 व 1873 के जरिये खसरा नमबर 1886 तक पंहुचने हेतु कुल 200 मीटर दूरी बताई जो निकटतम दूरी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता उपलब्ध करवाया है उसकी दूरी 228 मीटर है यानि 28 मीटर अधिक दूरी होने के बावजूद भी निकटतम जो 200 मीटर पर रास्ता है उसे रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को गलत रूप से दिया है । दिनांक 04.04.2024 को पुनः देखे गये मौके मे खसरा नम्बर 1871, 1872, 1873 से स्पष्ट रास्ता होना तथा खसरा नम्बर 1840 की पश्चिमी माठ से खसरा नम्बर 1840 के दक्षिणी माठ होते हुऐ 1841 व 1887 की पश्चिमी माठ से रास्ता दर्शाया है इन दोनो रास्तो को अपीलान्ट को नहीं दिया जाकर 1835 के पूर्वी तरफ से होते हुऐ गलत रूप से रास्ता दिया गया है। पुनः मंगवाई गई रिपोर्ट में तहसीलदार चितलवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी को क्रंमाक/राजस्व/2024/382 दिनांक 05.04.2024 के पद संख्या 4 मे खसरा नम्बर 1863 मे मौके पर पक्की डामरीकरण सड़क होना बताया है परन्तु खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नम्बर 1863 से 1886 मे जाने हेतु पंक्का रास्ता उपलब्ध होते हुऐ भी 04.04.2024 की मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1863 नहीं दर्शा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को फायदा देने के लिए खसरा नम्बर 1872, 1873 व 1859 की मेड़ से डामर सड़क नाईयो की ढाणी से गिरधर धोरा जाने वाली पक्की डामर सड़क होते हुऐ खसरा नम्बर 1859 में से रास्ता खसरा 1886 मे जाने हेतु रास्ता की दुरी 50 मीटर व सडक से खसरा नबर 1873 मे से खसरा नम्बर–1886 मे जाने हेतु रास्ते की दूरी 55 मीटर की होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट को 228 मीटर लम्बी दूरी का रास्ता उनके प्रार्थना पत्र के मुताबिक दे दिया गया जबकि विकल्प मे रास्ते थे तथा मौका रिपोर्ट मे भी डामर सडक का नक्शा नहीं बनाया है। मौजा नाईयो की ढाणी के खसरा नम्बर–1863 जो डामरीकरण सडक है उससे खसरा नम्बर 1886, 150 मीटर के लगभग पडता है उस बारे मे मौके की कोई जांच नहीं कर मात्र तहसीलदार ने पुनः की गई जांच में यह लिख दिया कि खसरा नम्बर 1863 मौके पर पक्की सडक है उसके आगे खसरा नबर1886 कितना दूर पडता है इसकी कोई जांच नहीं की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त अपास्त फरमाया जावे विकल्प प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः जांच उच्च अधिकारी से मौके की करवाकर खसरा नम्बर 1886 के निकटतम रास्ते की जांच कराकर निर्णय पारित करे।

अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व इन पर उपलब्ध दस्तावेजात व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर ग्राम नाईयों की ढाणी रणोदर के खसरा नम्बर 1886 में आवगमन हेतु रास्ता चाहा गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1835, 1840, 1841 व 1887 में से 06 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा ग्राम नाईयों की ढाणी रणोदर में स्थित में अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1886 तक की पहुंच के लिए पहुंच मार्ग की मांग की गयी। प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमति जाहिर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रथम जांच प्रतिवेदन भू.अ. नि. केरिया द्वारा दिनांक 06.10.2023 को तैयार किया गया। जिसके द्वारा खसरा संख्या 1835, 1840, 1841 व 1887 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया। जिस पर अपीलांट अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति जाहिर करते हुए नवीन मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपत्ति स्वीकार करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिस पर भू.अ.नि. केरिया द्वारा दिनांक 04.04.2024 को उभयपक्षकारान् को सूचित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। जिस पर अपीलांट को छोड़कर शेष समस्त पक्षकारान् द्वारा हस्ताक्षर किये गये, अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। भू.अ.नि. द्वारा खसरा संख्या 1886 तक की पहुंच के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित किये गये। प्रथम विकल्प खसरा संख्या 1835, 1840, 1841 व 1887 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे, द्वितीय विकल्प खसरा संख्या 1835, 1840, 1841, 1885 की पश्चिमी सीमा के सहारे तथा तृतीय विकल्प खसरा संख्या 1871, 1872, 1873 की उत्तरी सीमा के सहारे प्रस्तावित किया गया। तृतीय विकल्प में प्रस्तावित रास्ते के ठीक पास में कुआं तथा ढाणिया होने से अनुपर्यक्त व असुरक्षित है। तथा द्वितीय विकल्प न केवल प्रथम विकल्प से अधिक दूरी का बल्कि नहर के पास दस फीट सीधी ढलान होने से अनुपर्यक्त है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 1841 व 1887 की आराजी में सहखातेदार है, तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में सें रास्ता स्वीकृत करने तथा रास्ते में पर्युक्त भूमि अपने हिस्से में से देने के लिए सहमत्ति प्रदान की गयी। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 बाबूलाल जो कि खसरा संख्या 1840 का खातेदार है, द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमत्ति जाहिर करते हुए इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट जो कि खसरा संख्या 1835 का खातेदार है, जोकि नहर से लगते हुए स्थित है, द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 1835 में से मात्र 13.05 मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया। अन्य खसरा संख्या 840 में से 76 मीटर जिसके लिए खातेदार अप्रार्थी संख्या 02 सहमत है। खसरा संख्या 1841 में से 64 मीटर तथा खसरा संख्या 1887 में से 96 मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया। खसरा संख्या 1841 व 1887 की आराजी में प्रार्थीगण स्वयं सहखातेदार है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से कम करते हुए रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् सहमत्ति जाहिर की है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न केवल उभयपक्षकारान् को सुनवाई व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान किया गया बल्कि प्रकरण में अपीलांट की मांग पर पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 1835, 1840, 1841 व 1887 की पूर्वी सीमा के सहारे मुताबिक जांच रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि साबित नहीं होती है।

3. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 बअनवान भारमल वगैरह बनाम रामू वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली